कार्यवाही हेतु ...
पेश हों।

(हस्ताक्षर)

25-9-24

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 27-11-24 को पेश हों।

मीटिंग

(हस्ताक्षर)

27-11-24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11-12-2024 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

11-12-24

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 19-12-24 को पेश हों।

कार्य स्थगित

(हस्ताक्षर)

19-12-24

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2023
दायरा दिनांक 28.03.2023

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. प्रेमशंकर शर्मा आ0 किशन गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा हाल निवास तेजाजी के मंदिर के पास धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
2. रमणशंकर शर्मा आ0 किशन गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा हाल निवास वार्ड नं 08 मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।

–प्रार्थिगण

बनाम

1. रामेश्वर आ0 श्रीनिवास जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा हाल निवास मकान नं 139 बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
2. शिवराज आ0 श्रीनिवास जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा हाल निवास गोविन्द नगर डी0सी0एम0 के पास कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
3. राजेश बाई पुत्री श्रीनिवास जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा हाल निवास रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
4. रणजीत उर्फ रामावतार शर्मा आ0 भीमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा हाल निवास मकान स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
5. विश्वजीत शर्मा आ0 भीमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
6. हरिओम शर्मा आ0 भीमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. सरोज शर्मा पुत्री भीमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
8. ललता बाई बेवा भीमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
9. अनिल कुमार आ0 कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास शंकर कॉलोनी वार्ड नं 7 केशवराय पाटन तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
10. अजय कुमार शर्मा आ0 कुंज बिहारी जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिलाा बून्दी, राजस्थान।
11. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा आ0 कुंज बिहारी जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
12. सरोज बाई पुत्री कुंज बिहारी जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
13. कांतिशंकर आ0 रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी हाल निवास म0नं0 1/24 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
14. गीता बाई पुत्री केसरा जाति ब्राह्मण पत्नी पूरणमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

15. चन्द्रकला विधवा पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी शंकर कॉलोनी वार्ड नं 07 केशवराय पाटन तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
16. मदन मोहन आ0 गोविन्द लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी हाल निवास नयागांव रावतभाटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
17. मनोज कुमार आ0 कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास म0नं0 17 गिरधर एनक्लेव बालित रोड कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
18. महेशचन्द पुत्र घांसी लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास 198 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
19. माया पुत्री कैलाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
20. श्याम नारायण आ0 घांसी लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास म0नं0 116 गली नं0 13 दुर्गा नगर पूनम कॉलोनी कोटा जंक्शन तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
21. योगेन्द्र शर्मा आ0 अणदी लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
22. ललतेश शर्मा आ0 अणदी लाल जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ निवासी धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
23. विद्या बाई पुत्री रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ निवासी बडाखेडा हाल निवास कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
24. विनोद बाई पुत्री रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ हाल निवास कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।
25 राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़, बून्दी।
26. उप पंजीयक, इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
27. राजस्थान राज्य द्वारा जिलाधीश महोदय, बून्दी।

—अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट
प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा
अधिवक्ताः— 1. श्री बालालाल बीडा (अधिवक्ता प्रार्थिगण)
2. प्रतिवादीगण 1लगायत27(अनुपस्थित)

दिनांकः— 19 .12.2024

निर्णय

प्रार्थिगण ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 399 पुराना 349 की कृषि भूमियां ख0सं 1074 रकबा 0.34है0, ख.सं. 1075 रकवा 0.09है0, ख.सं. 1076 रकबा 0.06है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में निहित है। खाता संख्या 617 पुराना 519 की कृषि भूमियां ख0सं 2428 रकबा 0.80है0, ख.सं. 2448 रकबा 0.31है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.11है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। खाता संख्या 556 पुराना 527 की कृषि भूमियां ख0सं 1721 रकबा 3.18है0 वाके ग्राम बडाखेडा तहसील

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। खाता संख्या नया 399 में प्रत्येक प्रार्थिगण का हिस्सा 1/24 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 617 में प्रत्येक प्रार्थिगण का हिस्सा 1/12 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कृषिभूमि खाता संख्या नया 556 में प्रत्येक प्रार्थिगण का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थिगण के हिस्से में उक्त भूमि पिताजी किशन गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल की मृत्यु उपरान्त विरासत में आयी है। उक्त कृषिभूमियां में प्रार्थिगण के पिता किशन गोपाल जी की मृत्यु के बाद जर्ये नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 14.09.1969 से दर्ज हुआ है। ग्राम बडाखेडा के तीनों खातों की जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 संलग्न है।

यह है कि खाता संख्या 23 पुराना 138 की कृषि भूमियां ख0सं 97 रकबा 1.00है0, ख.सं. 98 रकबा 0.12है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.12है0 वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। खाता संख्या 17 पुराना 13 की कृषि भूमियां ख0सं 182 रकबा 1.19है0 वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। ग्राम माखीदा व खाकटा की कृषि भूमियां पुश्तैनी है। प्रार्थिगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके हिस्से की भूमियां केवल मात्र दो पुत्र श्रीनिवास व भीमशंकर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी है जबकी प्रार्थीगण भी उनके पुत्र है। इस प्रकार अप्रार्थिगण का नाम गलत अंकित हो रहा है जबकी प्रार्थिगण भी उनके हिस्से के बराबर के अधिकारी है। श्रीनिवास की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 है। भीमशंकर की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान अप्रार्थिगण 4 लगायत 8 है। ग्राम माखीदा व ग्राम खाकटा की जमाबंदी संलग्न है। उक्त कृषिभूमि को पुराने ख.सं. 127 में 7बीघा 5बिस्वा थे। ख.सं 127 की उक्त भूमि के पूर्व खसरा संख्या 19 रकबा 7बीघा 3बिस्वा व ख.सं 42 मीन 2 बिस्वा थे। ग्राम खाकटा की कृषिभूमि के पुराने ख.सं. 966 रकबा 7बीघा 15बिस्वा थे। उसके पूर्व पुराने ख.सं 75 रकबा 7बीघा 15 बिस्वा था। उक्त कृषिभूमियां पूर्व में प्रार्थिगण के पूर्वजा भंवरलाल, राजनारायण, चतरा उर्फ चतुर्भुज पि0 हरिशंकर के नाम दर्ज थी। उक्त कृषिभूमियों के संबंध में प्रार्थिगण के पिता किशन गोपाल जी की मृत्यु के पश्चात् रामप्रताप जी ने एक वाद संख्या 344/1967 बनाम रामप्रताप बनाम केसरा आदि न्यायालय उप जिलाधीश महोदय, बून्दी में इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया था जिसमें रामप्रताप जी ने केसरा, गोविन्द लाल, लक्ष्मीचन्द, घांसीलाल व श्रीनिवास व भीमशंकर को ही पक्षकार बनाया गया था जबकी प्रार्थिगण भी किशनगोपाल की जायन्दा संतान है। उक्त वाद में सभी अप्रार्थिगण ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर उक्त वाद को दिनांक 18.07.1975 को न्यायालय से डिक्री करवा लिया। जिसकी पालना में जर्ये नमान्तकरण संख्या 17 दिनांक 14.07.1977 को ग्राम माखीदा व खाकटा की कृषिभूमियों में श्रीनिवास व भीमशंकर का नाम दर्ज कर लिया गया और प्रार्थिगण का नाम जानबूझ कर छोड दिया जबकि प्रार्थिगण किशन गोपाल जी के पुत्र हैं वे उक्त कृषिभूमियों के सह हिस्सेदार हैं। ग्राम बडाखेडा के तीनों खातो की कृषिभूमियों में प्रार्थिगण का नाम उनके भाई श्रीनिवास व भीमशंकर के साथ किशन गोपाल जी की संतान होने कारण राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज है। उक्त जमाबंदिया महत्वपूर्ण साक्ष्य है। वाद संख्या 344/1967 बनाम रामप्रताप बनाम केसरा आदि न्यायालय उप जिलाधीश महोदय, बून्दी में प्रार्थिगण पक्षकार नहीं होने से उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.1975 प्रार्थिगण पर प्रभावी नहीं है। उक्त पैरा 2 में वर्णित वाद विषयक आराजी में प्रार्थिगण ने अपने पिता किशनगोपाल के हिस्से में आयी हुई कृषिभूमियों पर श्रीनिवास व भीमशंकर के समान हिस्से पर अपने नाम दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थिगण को जनवरी 2023 में कहने पर अप्रार्थिगण ने प्रार्थिगण का नाम सह खातेदार कृषक रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से मना कर दिया व प्रार्थिगण को कब्जे से वेदखल कर राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित उनके नाम का

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

फायदा उठाकर वाद विषयक कृषिभूमि को रहन, बय करने की धमकी दी गई यही वाद का कारण है, जो नियमित रूप से पैदा हो रहा है। अन्त प्रार्थिगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थिगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे प्रार्थना पत्र की पैरा सं 2 वाद विषयक भूमि ग्राम माखीदा व खाकटा में प्रत्येक के हिस्से 1/15 का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाये व अन्य सहखातेदारान के साथ अपने हिस्सा 1/15 पर सहखातेदार कृषक अंकित करावाये। वाद के विचारण में काफी समय लगने की संभावना है , दौराने वाद अप्रार्थिगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया तो वे वाद विषयक कृषिभूमि को रहन, बैचान व अन्तरण कर देंगे जिससे प्रार्थिगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थिगण 1 लगायत 27 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली में प्रार्थिगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने दोराने बहस कथन किया कि ग्राम बडाखेडा में स्थित कृषि भूमियां खाता संख्या नया 399 में प्रत्येक प्रार्थिगण का हिस्सा 1/24 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 617 में प्रत्येक प्रार्थिगण का हिस्सा 1/12 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कृषिभूमि खाता संख्या नया 556 में प्रत्येक प्रार्थिगण का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थिगण के हिस्से में उक्त भूमि पिताजी किशन गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल की मृत्यु उपरान्त विरासत में आयी है। उक्त कृषिभूमियां में प्रार्थिगण के पिता किशन गोपाल जी की मृत्यु के बाद जर्ये नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 14.09.1969 से दर्ज हुआ है। खाता संख्या 23 पुराना 138 की कृषि भूमियां ख0सं 97 रकबा 1.00है0, ख.सं. 98 रकबा 0.12है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1. 12है0 वाके ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। खाता संख्या 17 पुराना 13 की कृषि भूमियां ख0सं 182 रकबा 1.19है0 वाके ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। ग्राम माखीदा व खाकटा की कृषि भूमियां पुश्तैनी है। प्रार्थिगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके हिस्से की भूमियां केवल मात्र दो पुत्र श्रीनिवास व भीमशंकर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी है जबकी प्रार्थीगण भी उनके पुत्र है। इस प्रकार अप्रार्थिगण का नाम गलत अंकित हो रहा है जबकी प्रार्थिगण भी उनके हिस्से के बराबर के अधिकारी है। दोराने वाद यदि अप्रार्थिगण द्वारा प्रार्थिगण के पिता की पुश्तैनी भूमि का बैचान कर देते है तो प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थिगण स्वीकार किया जावे।

हमने प्रार्थिगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित नकल नमांतकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 14.09.1969 ग्राम बडाखेडा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार मृतक किशनगोपाल के विधिक वारिसान प्रेमशंकर, रमणशंकर, श्रीनिवास, भीमराज है जिसके आधार पर ग्राम बडाखेडा में स्थित कृषिभूमि पर प्रार्थिगण प्रेमशंकर, रमणशंकर के नाम हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम माखीदा की कृषिभूमि के पुराने खसरा संख्या 127 रकबा 7बीघा 5बीस्वा थे। ग्राम खाकटा की कृषि भूमि के पुराने खसरा संख्या 117 रकबा 7बीघा 15बिस्वा थे। नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि ग्राम माखीदा के आराजी के नये खसरा संख्या 197 रकवा 1.00है0, खसरा संख्या 198 रकबा 0.12है0 तथा ग्राम खाकटा के आराजी के नये खसरा संख्या 182 रकवा 1.19है0 बने है। उक्त दोनो ग्राम की कृषिभूमि प्रार्थिगण के पिता मृतक किशनगोपाल की सहखातेदारी में दर्ज थी। उक्त कृषिभूमियों के संबंध

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

में प्रार्थिगण के पिता किशन गोपाल जी की मृत्यु के पश्चात् रामप्रताप जी ने एक वाद संख्या 344/1967 बनाम रामप्रताप बनाम केसरा आदि न्यायालय उप जिलाधीश महोदय, बून्दी में इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया था जिसमें रामप्रताप जी ने केसरा, गोविन्द लाल, लक्ष्मीचन्द, घांसीलाल व श्रीनिवास व भीमशंकर को ही पक्षकार बनाया गया था। उक्त वाद में प्रार्थिगण पक्षकार नहीं थे। जिसके निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.1975 की पालना में प्रार्थिगण के नाम वाद विषयक कृषि भूमि ग्राम माखिदा व खाकटा में नामांतकरण नहीं खौला गया था। चूंकि उक्त वाद विषयक आराजी पुश्तैनी होने से पिता मृतक किशनगोपाल के हिस्से की कृषिभूमि पर प्रार्थिगण के भी हक अधिकार निहित है। प्राथमिक दृष्ट्या सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थिगण के पक्ष में प्रमाणित होती है। वाद बहुलता व प्रार्थिगण को अपूर्णीय क्षति कारित होने के मध्यनजर प्रार्थिगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिगण 1 लगायत 24 को ताफैसला मूल वाद तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद विषयक आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें एवं प्रार्थिगण को वाद विषयक आराजी से जबरन बेदखल न करें ऐसा कृत्य न स्वयं करें ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
लाखेरी(बून्दी)